

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक ४४८४ / प्रो०का० / म०का०ल०उ० / नो०अ० / 2023-24 दिनांक 18 दिसम्बर 2023

समस्त कार्यालयाध्यक्ष /
समस्त जिला स्तरीय अधिकारी
जनपद गाजियाबाद।

विषय- "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवरण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम-2013 एवं बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजनान्तर्गत, पोक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र लखनऊ के पत्र संख्या सी-1817 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवरण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम-2013 की जागरूकता हेतु स्थानीय व आन्तरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला एवं बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजनान्तर्गत पोक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जागरूकता कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में दिनांक 20.12.2023 को साँय 4.00 बजे दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन गाजियाबाद में कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। अतः अपने कार्यालय की आन्तरिक परिवाद समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जिला स्तरीय अधिकारी उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(अभिनव श्रीपाल)
आई.ए.एस.

मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, अभियोजन गाजियाबाद।
5. अध्यक्ष/सदस्य, स्थानीय परिवाद समिति गाजियाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद।